

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक /

पटना, दिनांक.....

सं० सं० ०३/उ०नि०/कौशल विकास/रा०प्रौ०सं०, पटना-०१/२०१६

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक),
बिहार, पटना।

द्वारा :-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में तीन माह का प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹९१,६०,८०० (एकानवे लाख साठ हजार आठ सौ) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृतादेश सं०-४४४३, दिनांक-२२.१२.१६ के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में तीन माह का प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹९१,६०,८०० (एकानवे लाख साठ हजार आठ सौ) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

(२) इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर समीक्षोपरान्त तीन माह के कोर्स के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय ₹२०.८२० (बीस हजार आठ सौ बीस रुपये) मात्र की दर से निर्धारित की गयी है।

(३) प्रस्तावित योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में विभिन्न ट्रेडो यथा ड्राफ्टमैनशिप, कम्प्युटर ग्राफिक्स, सरबेयिंग, हारिजेन्टल डिलिंग मशीन ऑपरेटर इत्यादि के लिए सामान्य जाति प्रक्षेत्र के २६४ (दो सौ चौसठ) अनु० जाति प्रक्षेत्र के १३२ (एक सौ बत्तीस) एवं अनुसूचित जनजाति प्रक्षेत्र के ४४ (चौवालीस) कुल ४४० बेरोजगार युवक/युवतियों को ३ माह का गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(४) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा प्रस्तावित योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का कम से कम ५०% का नियोजन/स्वनियोजित कराया जाएगा।

(५) इस राशि का व्यय निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं :-

क्र०सं०	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्यशीर्ष-२८५२ उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-१०२-औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-०१३५-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-P२८५२८०१०२०१३५, राज्य योजना स्कीम कोड- IND-५४२८, विषय शीर्ष-३१ ०६ सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	₹५४,९६,४८०.००
ii.	मुख्यशीर्ष-२८५२ उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-०१०२-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-P२८५२८०७८९०१०२, राज्य योजना स्कीम कोड- IND-५४२८, विषय शीर्ष-३१ ०६ सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	₹२७,४८,२४०.००
iii.	मुख्यशीर्ष-२८५२ उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-०८-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष- ०१०१-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-P२८५२०८७९६०१०१, विषय शीर्ष-३१ ०६ सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	₹९,१६,०८०.००
कुल राशि :-		₹९१,६०,८००.००

(६) स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होंगे, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म ४२ पर एकमुश्त कर आर०टी०जी०एस०/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को उपलब्ध करायेगे।

- (7) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे। कार्यान्वयन ऐजेंसी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा समुचित जांचोपरांत महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- (8) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5428 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।
- (9) प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं०सं०-03/उ०नि०/कौशल विकास/रा०प्रौ०सं०,पटना- 01/2015 के पृष्ठ 48/टि० पर दिनांक-08.12.16 को प्राप्त है। जिसका गै०स०प्रे० सं०-355, दिनांक-02.12.16 है।
- (10) राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-03/उ०नि०/कौशल विकास/रा०प्रौ०सं०,पटना- 01/2015 के पृष्ठ-54/टि० पर दिनांक-21.03.17 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं०-55/OSD, दिनांक-21.03.17 है।
- (11) वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 की कंडिका-15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- (12) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8003 वि० (2) दिनांक-18.09.2008 में निहित पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 की कंडिका- 2 एवं 15 एवं पत्रांक-2938 वि० (2) दिनांक-08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि(2) दि०-05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक/

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

ज्ञापांक/

प्रतिलिपि :- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24.03.17

ज्ञापांक 856 /

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01(सं०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-03, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/आईटी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।